

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1753/2011/ जयपुर

मैसर्स श्री सत्यनारायण प्रधान कंस्ट्रक्सन

.....अपीलकर्ता

कम्पनी फागी, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकार (प्रति-करापबंधन) जोन तृतीय,

जयपुर

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

1. अलकेश शर्मा

.....अपीलार्थी की ओर से

2. श्री आर. के. सिंह राजकीय

उप-अधिवक्ता

.....विभाग की ओर से

निर्णय

दिनांक :16/11/2016

उपरोक्त अपील राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम 2003 की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उपायुक्त अपीलस तृतीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2011 को विवादित किया गया हैं। उपायुक्त अपीलस तृतीय द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2009-2010 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.04.2011 में सृजित मांग राशि 14,37,317/-रु पर स्थगन को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

श्री अलकेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील को वापस लेने की प्रार्थना की गई हैं। राजकीय उप-अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः उक्त अपील प्रत्याहारित (विद्वावल) मानकर खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड

अजमेर



अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड

अजमेर